न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :–05 / 2025
निर्णय दिनांक :–28.03.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. केदार पुत्र भँवरलाल जाति जाट निवासी आवण्डिया तहसील फागी जिला राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
2. कजोड पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
3. धारासिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
4. नवल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
5. बृजेन्द्रसिंह पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
6. बृजनरेश पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
7. भगवान सहाय पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
8. भवाना पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर
9. यादराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
10. रामचरण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
11. हरि पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
12. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री नेतराम चौधरी वकील प्रार्थीगण

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

(2)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128, 111 एल.आर.एक्ट बाबत् मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी आदेश फरमायें जाने बाबत्

निर्णय दिनांक :–28.03.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 159 के आराजी खसरा नम्बर 453/1 रकबा 1.6059 हैक्टयर खसरा नम्बर 465/727 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7450 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम आवण्डिया पटवार हल्का सुल्तानिया भू. अभि. नि. क्षेत्र लदाना तहसील फागी जिला व राज. में स्थित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में मेरकोर की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज खातेदारी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् तहसीलदार महोदय फागी के आदेश कमांक/भू.अ./24/2464–2467 दिनांक 23/05/2024 की पालना में दिनांक 10/06/2024 को राजस्व टीम जिसमें पटवारी पटवार हल्का सुल्तानिया, निमेंडा व घटियाली ने संयुक्त रूप से सीमाज्ञान करवाया गया। राजस्व टीम द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें अनुसार तहसीलदार फागी के आदेश की पालना में हुये सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शें की दर्शाते हुये सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार फागी के यहाँ प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा नही मानकर अनदेखी कर मिटाने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थी द्वारा विधिवत सीमाज्ञान करवाने के बावजूद पत्थरगढी नही होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को कब्जें काश्त खातेदारी आराजी भूमि में मजाहत करते है। क्योंकि प्रार्थी की आराजी भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी हैं। सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 एवं आदेश क्रमांक/भू. अ. /24/2464–2467 दिनांक 23/05/2024 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थी से आये दिन मेरकोर को लेकर लडाई–झगडा करते हैं तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान् न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 01 लगायत 12 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम आवंडिया खाता सं0 159 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि ख.नं. 453/1 का दिनांक 10.06.2024 विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 159 के आराजी खसरा नम्बर 453/1रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम आवण्डिया तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/3/25

(राकेश कुमार मी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर